न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 148 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024 / 435

वादी	बनाम	प्रतिवादी
आदूराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार,प्रजापत निवासी कालूड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.गुमनाराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार, प्रजापत 3.पवनीदेवी पत्नि देवीसिंह,जाति राजपुरोहित निवासी कालूड़ी तहसील पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत,अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी एकतरफा।

:—निर्णयः—

दिनांक 28/07/2025

1.संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम कालूड़ी तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 74/1 वर्तमान खसरा संख्या 297/74 क्षेत्रफल 1.8292 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 298/74 क्षेत्रफल 0.0405 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी की ओर से क्रय की हुए है। वक्त खरीद के समय घरेलू बोलचाल भाषा में वादी को आईदानराम नाम से पुकारने के कारण वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री में आईदानराम पुत्र रूपाराम नाम अंकन कर दिया गया,जो अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है,जबकि वादी का वास्तविक नाम आदूराम है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि आईदानराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर सही नाम आदूराम पुत्र रूपाराम इन्द्राज करवाने हेतु वाद—पत्र पेश किया गया है।

2.वादी का वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम प्रजापत द्वारा वकालतनामा द्वारा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 02 अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा उक्त

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादी द्वारा न ही साक्ष्य गवाह पेश नही की गई,इस प्रकार प्रतिवादी की साक्ष्य भी बंद की गई।। वक्त बहस प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रही है। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी आदूराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श–16 प्रदर्शित करवाए गए।

4.वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम कालूड़ी तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 74/1 वर्तमान खसरा संख्या 297/74 क्षेत्रफल 1.8292 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 298/74 क्षेत्रफल 0.0405 हैक्टयर अवस्थित है। वादी का धरेलू बोलचाल भाषा में आईदानराम पुत्र रूपाराम नाम से पुकारे थे और वक्त वादग्रस्त भूमि क्रय के समय रजिस्ट्री में भी उक्त अशुद्व नाम की प्रविष्टि कर दी गई,जबकि वादी का वास्तविक नाम आदूराम है,लेकिन अशुद्व प्रविष्टि आईदानराम इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक आदूराम दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम आदूराम के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम आईदानराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर आदूराम पुत्र रूपाराम इन्द्राज किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

5.हमनें वादी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कालूड़ी तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 74/1 वर्तमान खसरा संख्या 297/74 क्षेत्रफल 1.8292 हैक्टयर भूमि वादी की आवगी खातेदारी में अवस्थित है तथा इसी ग्राम की खसरा संख्या 298/74 क्षेत्रफल 0.0405 हैक्टयर भूमि वादी की सहखातेदारी में इन्द्राज है। वादी का नाम आईदानराम पुत्र रूपाराम दर्ज हो रखा है। जबकि वादी की ओर से प्रदर्श 09 ए–आधार कार्ड प्रति,प्रदर्श–10 ए जन आधार कार्ड प्रति,प्रदर्श–11 ए अद्वितिय विकलांगता पहचान प्रति,प्रदर्श–12 ए– वोटर कार्डप्रति,प्रदर्श 13 ए–बैक डायरी प्रति में वादी का नाम आदूराम पुत्र रूपाराम इन्द्राज हो रखा है। इससे भी प्रमाणित है कि वादी की वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादी वादग्रस्त भूमि में शुद्व नाम इन्द्राज करवानें का हकदार प्रतीत होता है। इसके साथ प्रशासक ग्राम पंचायत कालूड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 180/08.5.2024 में तस्दीक किया है, कि वादी आईदानराम व आदूराम एक ही व्यक्ति है,जिनको मै जानती है। इस प्रकार वक्त खरीद रजिस्ट्री में वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि होना पाया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 जो कि वादी का भाई है,इनकी ओर से अधिवक्ता भी मुकर्रेर थे,लेकिन प्रतिवादी संख्या 02 के

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अधिवक्ता को जवाब व साक्ष्य पेश करवाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी नही करवाने के कारण प्रतिवादी जवाब व साक्ष्य बंद की गई तथा निर्धारित सुनवाई तारीख को उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को वादी के वादपत्र को स्वीकार किए जाने में उजर–एतराज नहीं है,यदि होता तो हस्तगत प्रकरण में चाराजोही करते,लेकिन प्रतिवादी की ओर से ऐसा नहीं किया गया। वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्व नाम आईदानराम के स्थान पर आदूराम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णय:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–कालूड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 297/74 क्षेत्रफल 1.8292 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 298/74 क्षेत्रफल 0.0405 हैक्टयर भूमि में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि आईदान पुत्र रूपाराम के स्थान पर वास्तविक नाम आईदानराम उर्फ आदूराम पुत्र रूपाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28/7/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर 28/7/25
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 148 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 435

वादी	बनाम	प्रतिवादी
आदूराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार,प्रजापत निवासी कालूड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.गुमनाराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार, प्रजापत 3.पवनीदेवी पत्नि देवीसिंह,जाति राजपुरोहित निवासी कालूड़ी तहसील पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–28.7.2025

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 28.7.2025 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** किः–वादी वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–कालूड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 297 / 74 क्षेत्रफल 1.8292 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 298 / 74 क्षेत्रफल 0.0405 हैक्टयर भूमि में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि आईदान पुत्र रूपाराम के स्थान पर वास्तविक नाम आईदानराम उर्फ आदूराम पुत्र रूपाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 28.7.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	–	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	———
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा